न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 345/2015/डिक्री

1. गणेशलाल पिता कालु नाई मृतक के बजाय –
   1. चांदी बेवा गणेशलाल नाई
   2. शम्भुलाल पिता गणेशलाल नाई
   3. मु.शंकरी पुत्री गणेशलाल नाई
   4. कैलाश चन्द्र पिता गणेशलाल नाई

   सभी निवासी सोमरवालो का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. चुना पिता कालु नाई
   निवासी सोमरवालो का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मिठुलाल पिता देव जी नाई
   निवासी सोमरवालो का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राशमी
दिनांक 15.12.2011 प्रकरण सं. 114/2010

उपस्थित – 1. श्री कृष्णचन्द तुलछिया – अभिभाषक अपीलान्टस

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि मौजा सोमरवालो का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के आराजी नम्बर 483 रकबा 0.08 बीघा, आराजी नम्बर 508 रकबा 3.01 बीघा, आराजी नम्बर 509 रकबा 0.12 बीघा, आराजी नम्बर 514 रकबा 1.04 बीघा, आराजी नम्ब्र 515 रकबा 1.14 बीघा आराजी नम्बर 416 रकबा 2.08 बीघा, आराजी नम्बर 517 रकबा 0.06 बीघा, आराजी नम्बर 518 रकबा 2.01 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 11.14 बिस्वा स्थित है जो संवत् 2066–2069 तक की जमाबन्दी मे अपीलान्टस (प्रतिवादीगण) शम्भुलाल, कैलाशचन्द पिता गणेश, चांदीबाई बेवा गणेश, चुना पिता कालू, मिठु पिता देवजी दादा पन्ना नाई के नाम पर संयुक्त दर्ज थी। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट ने धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दावा किया है जो अवैधानिक है क्योकि जमाबन्दी मे अपीलान्टस

(प्रतिवादीगण) तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कोई हिस्सेदारी अंकित नही है, इसलिये किस पक्षकार का कितना हिस्सा है उसको घोषित कराना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का मानते हुए वादी रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्सा विभाजन मे दिलाया है जो अवैधानिक है। स्व0 गणेश के वारिस अपीलान्ट संख्या 2 चुना को 1/4 हिस्सा विभाजन मे दिलाया व अंतिम डिक्री अनुसार अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जो विधि के विरूद्ध है।

2. यह कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25/05/2011 को जारी की गई इस बाबत् भी अपीलान्टस को कोई जानकारी नही दी गई तथा कमिश्नर तहसीलदार राशमी ने जो बंटवाडा मौके पर किया इसकी भी सूचना अपीलान्टस को नही थी। मौके पर जरीब नही चलाई। माफिक सजरा देवजी, कालू तथा नारू तीन पुत्र है। विवादित आराजीयात मे तीनो का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है। नारू के पुत्र बातु व घीसू ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के दिनांक 22/02/1997 से कालू के पुत्र गणेश तथा चुना, देवजी के पुत्र मिठु को दे दिया। इसलिये बालु व घीसा पिता नारू का 1/3 हिस्सा पक्षकारान के बीच विभाजन हो गया तथा राजस्व रिकार्ड से बालु व घीसु का नाम हटा दिया गया। अपीलान्टस गणेश के वारिस अपीलान्ट ने 1/1 से 1/4 का 5/18 तथा प्रतिवादी संख्या 2 चुना का भी 5/18 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मिठुलाल का 4/9 हिस बनता है, किन्तु मिठु को उक्त अंतिम डिक्री मे 1/2 हिस्सा दिलाया जो अवैधानिक है। अंतिम डिक्री दिनांक 15/12/2011 को जारी की गई जिसकी जानकारी अपीलान्टस को नही थी। अपीलान्ट को दिनांक 12/09/2015 को हल्का पटवारी से अंतिम डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए यह अपील जानकारी के दिनांक 12/09/2015 मे 60 दिन के अन्दर धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मिठुलाल का वाद पत्र खारीज किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट का न तो नोटिस जारी किया है तथा न ही तामील हुआ है। किसी प्रकार की तनकियात कायम किये बिना बंटवाडा कर दिया गया है जबकि जमाबन्दी मे वादी का हिस्सा ही नही है तथा न ही मौके पर कब्जा है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. बहस सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये निर्णय पारित किया गया है तथा न ही किसी प्रकार की तनकियात कायम की गई है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 114/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 15/12/2011 को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़